



एलजी ने 'आउटसोर्स' आधार पर 1,463 स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती को दी मंजूरी

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी। राजनिवास ने यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएएसयू) के माध्यम से 1,463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती का यह अभियान, अस्पतालों को भर्ती नियमों में ढील के साथ सीधी भर्ती कोटे के तहत आवश्यक कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि 'आउटसोर्स' आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने का

डॉ. एसके सरिन
समिति की
सिफारिशों पर की
जा रही भर्ती



निर्णय शहर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मौजूदा चिकित्सा कर्मचारियों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। विज्ञापित के अनुसार, यह भर्ती डॉ. एसके सरिन समिति की सिफारिशों पर की जा रही है। समिति का गठन शहर में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों और कार्यबल के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा

चिंता जताए जाने के बाद किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में जारी एक निर्देश में राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था तथा उसने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त माना था। बयान में कहा गया है कि अदालत ने जीएनसीटीडी को यह आदेश दिया है कि वह अपनी योजनाओं पर एक स्थिति रिपोर्ट दखिल करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा प्रणाली शहर की जरूरतों के साथ तालमेल रख सके, विशेष रूप से अस्पतालों के विस्तारों और चिकित्सा कर्मियों की कमी पर जोर दिया जा सके।

शारीरिक व मानसिक बीमारियों के निदान के लिए खास है सिद्धा : मेयर



यह विधा इलाज के साथ-साथ अच्छी जीवनशैली के महत्व पर भी जोर देती है। यानी इलाज के साथ ही यदि जीवनशैली में अपेक्षित सुधार किया जाए तो इसके सकारात्मक और अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। आवश्यकता है कि सिद्धा चिकित्सीय पद्धति के बारे में लोगों को बताया जाए। आने वाले समय

सिद्धा चिकित्सा प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जाएंगे कैंप

में जल्द ही राजधानी भर में सिद्धा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में कैंप आयोजित किए जाएंगे। एनआईएस की निदेशक डॉ. आर मीना कुमारी ने कहा कि दक्षिण भारत की इस पद्धति से दिल्लीवासियों को लाभान्वित करने के लिए हम दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी वर्मन थैरेपी, आयुर्वेद और सिद्धा होम्योपैथी में अनकूलता और प्रतिकूलता का बारे में बताया। इसके अलावा सभागार के बाहर नक्षत्र वाटिका प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें नक्षत्र के हिसाब से पौधे का चयन बताया गया था। मंगलवार को दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा अस्पताल में नियुक्त सिद्धा मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा।

सिख कौम को एजुकेशन लंगर लगाने चाहिए : करमसर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार के मुद्दे की समीक्षा के लिए करमसर ने दिल्ली की समुची सिख संगत से एजुकेशन लंगर लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिख कौम को नगर कीर्तियों में लगने वाले स्टाल कम कर अपनी दसवद के पैसे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने चाहिए। गुरु नानक देव जी से लेकर सभी गुरु साहिबान ने हमें संदेश भी विधा विचारी तो परोपकारी का दिया है।

करमसर ने कहा आज समय की जरूरत है कि हम अपनी कौम के उन जरूरतमंद परिवारों की मदद करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं। उनकी मदद के लिए हर उस सिख को आगे आना चाहिए और अपनी दसवद को अन्य कार्यों में लगाने की बजाए ऐसे परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रकाश पर्व को ध्यान में रखकर हम नगर कीर्तन समुची दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में निकलने वाले हैं। हम सब को चाहिए कि उन पर होने वाले खर्च में कमी कर बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए, क्योंकि एक गुरुसिख बच्चा स्वयं पहू लिखकर आने वाले समय में सिख कौम की आवाज बनकर उच्च पदों पर आसीन होगा और आगे इस प्रकार के अन्य बच्चों की मदद भी करेगा।

अपनी बहसों में तर्कों का प्रयोग करें : करनाल सिंह

नई दिल्ली (एसएनबी)। अपनी बहसों में तर्कों का प्रयोग करना चाहिए और चर्चाओं के माध्यम से अपनी राय बनाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और प्रसिद्ध लेखक करनाल सिंह ने ये बात आरकेपुरम स्थित रामजस अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में आयोजित वार्षिक मॉडल यूनाइटेड नेशंस (एमयूएन) सम्मेलन में व्यक्त किया।

रामजस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मॉडल यूएन सम्मेलन आयोजित

सुच्यवस्थित मंच प्रदान किया। कनिष्ठ प्रतिभागियों ने तीन समितियों में बहस और चर्चा की जबकि वरिष्ठ वर्ग में छह समितियां थीं। इस मंच ने प्रतिनिधियों के वैश्विक मुद्दों पर गहराई से विचार करने, कूटनीतिक कौशल विकसित करने और नवीन समाधानों पर सहयोग करने में सक्षम बनाया। स्कूल की निदेशक रचना पंत ने बताया

कि स्कूल का एमयूएन सम्मेलन आलोचनात्मक सोच, सार्वजनिक बोलने और बातचीत कौशल को बढ़ावा देने, युवाओं को सक्रिय वैश्विक नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाया। विद्यार्थियों को कहा कि आप सब देश के कर्णधार हैं। विद्यार्थियों के कार्यक्रम के पश्चात एक विशिष्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालयों से आए हुए डॉ. अनिरुद्ध कुमार, अश्विनी कुमार, डॉ. रामजी दुवे, प्रो. रूपेन्द्र एवं संचालिका पूर्ण अंग्रेजी अध्यापिका मीरा भारद्वाज ने छात्रों को मध्यपूर्वी देशों में स्थित नारियों की स्थिति के विषय में सारांशित प्रकाश डाला।

जामिया : बीडीएस के नये छात्रों का ओरियंटेशन

नई दिल्ली (एसएनबी)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दंत चिकित्सा संकाय द्वारा बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री के छात्रों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्र प्रेरण कार्यक्रम-2024 अंतर्गत जेडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई जिसका शीर्षक 'दीक्षारंभ' था। यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य जामिया में दंत चिकित्सा संकाय में छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करना और उन्हें डेंटल सर्जन के रूप में उनकी भावी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना था। 'जेडर सेंसिटाइजेशन' कार्यशाला का आयोजन संकाय के लाइब्रेरी हॉल में हाइब्रिड मोड में किया गया जिसमें बीडीएस के सभी छात्र, प्रशिक्षु और बाह्य लोग शामिल हुए।

जेडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
(ई-टेंडरिंग द्वारा)

कार्य का नाम तथा स्थान: जल मुद्रकण संयंत्र के विकास के लिए सी/डब्ल्यू संतुलन कार्य में दूरसंचार सुविधा का प्रावधान, वर्षा जल संयंत्र नणाली और जीएन में हाइड्रोजन संयंत्र के वास्तुशिल्प स्वरूप में सुधार और सी/डब्ल्यू दिल्ली में दूरसंचार केबल बिछाने और स्थानान्तरित करना - एलसी नंबर के बदले आरओबी के स्थान पर अंशला आरयूडी। 43 समालाखा के पास किमी 7/12-23 पर और एलसी नंबर के बदले में आरओबी के स्थान पर दिल्ली-मॉडिआ आरयूडी। 110 जिंद के पास किमी 123/7-9 पर

कार्य की अनुमानित लागत (रु): ₹.36,35,543.39/- मात्र

घरौहर राशि (रु): ₹.72,70,00/- मात्र

कार्यालय का पता: वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता-C, तुलीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली-110055

निविदा प्रपत्र जमा करने तथा निविदा खुलने का दिनांक तथा समय: निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय 05.12.2024 15:00 बजे तक

वेब साइट एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है: उत्तर रेलवे की वेब साइट www.irps.gov.in पर देखें या देखें नोटिस बोर्ड, तुलीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली-110055

संख्या: 558-सिगनल-16-देवी-ओपनटेंडर-1009 दिनांक: 11.11.2024 3503/24

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि श्री विनोद कुमार मखारिया, निवासी- के सी-90 कवि नगर, गाजियाबाद 201002 ने केस रजिस्ट्रेशन नंबर 4024/17, थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त श्री विनोद कुमार मखारिया मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त श्री विनोद कुमार मखारिया फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त श्री विनोद कुमार मखारिया, केस रजिस्ट्रेशन नंबर 4024/17, थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली न्यायालय के सम्मक्ष या मेरे सम्मक्ष उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2024 को या उससे पहले हाजिर हो। आदेश से श्री. करणवीर सिंह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-(एनआई एक्ट)-05 (पश्चिम) कमरा नं. 04 तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त बलविरंद सिंह, पुत्र: रघुबीर सिंह, पता: मकान नंबर 42, राम नगर वीर बाजार, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, ओर मकान नंबर 81, गली नंबर 3, चंदू पार्क, जगतपुरी, सोम बाजार, मंडी वाली गली, ओर मकान नंबर 99बी, गोकुल पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली ने FIR No. 169/2017, U/s: 279/338 IPC, पुलिस थाना कोतवाली, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त बलविरंद सिंह मिल नहीं रहा है। और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि बलविरंद सिंह फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 169/2017, U/s: 279/338 IPC, पुलिस थाना कोतवाली, दिल्ली के अभियुक्त बलविरंद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.12.2024 या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार, सुश्री सायेशा चड्ढा जेएमएफसी-8, सीडी, कमरा नंबर 272 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

JUBILANT FOODWORKS LIMITED													
STATEMENT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024													
Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED RESULTS						STANDALONE RESULTS					
		For the Quarter ended		For the six months ended		For the year ended	For the Quarter ended		For the six months ended		For the year ended		
		September 30 2024	June 30 2024	September 30 2023	September 30 2024	September 30 2023	March 31 2024	September 30 2024	June 30 2024	September 30 2023	September 30 2024	September 30 2023	March 31 2024
1	Total Income from Operations (net)	19,547.16	19,330.64	13,686.32	38,877.80	27,031.74	56,540.88	14,668.78	14,395.57	13,448.29	26,544.92	53,408.50	
2	Net Profit for the period/year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	869.92	796.33	1,205.31	1,666.25	1,748.50	3,155.51	697.72	683.40	962.68	1,381.12	3,303.46	
3	Net Profit for the period/year before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (Refer Note 3 and 5)	869.92	796.33	1,205.31	1,666.25	1,748.50	4,857.16	697.72	683.40	962.68	1,381.12	3,183.46	
4	Net Profit for the period/year after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	665.30	580.24	972.02	1,245.54	1,261.19	4,000.73	520.64	515.09	721.48	1,035.73	2,339.09	
5	Total Comprehensive Income for the period/year (comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	449.69	930.03	987.86	1,379.72	1,316.41	3,225.47	774.91	677.44	1,006.88	1,452.35	1,873.69	
6	Equity Share Capital	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	1,319.69	
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date	-	-	-	-	-	20,386.73	-	-	-	-	20,797.09	
8	Earnings per share (after exceptional items) (of INR. 2/- each) (not annualised)												
	From continuing operations												
	a) Basic (in INR.)	1.05	0.89	1.47	1.93	1.91	6.06	0.79	0.78	1.09	1.57	2.23	
	b) Diluted (in INR.)	1.05	0.89	1.47	1.93	1.91	6.06	0.79	0.78	1.09	1.57	2.23	
	From discontinuing operations												
	a) Basic (in INR.)	(0.08)	(0.04)	-	(0.11)	-	(0.01)	-	-	-	-	-	
	b) Diluted (in INR.)	(0.08)	(0.04)	-	(0.11)	-	(0.01)	-	-	-	-	-	

NOTES: These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as 'Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time, to the extent applicable. The consolidated and standalone unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on November 11, 2024. The statutory auditor's report on review of consolidated and standalone unaudited financial results for the quarter and six months period ended September 30, 2024 is being filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

2 The Company's and Group's business activity falls within a single business segment i.e. Food and Beverages in terms of Ind AS 108 on Segment Reporting.

3 The Company has investment in its wholly owned subsidiary viz Jubilant FoodWorks Lanka (Private) Limited (JFLPL) having operations in Sri Lanka. During the year ended March 31, 2024, the management had recorded an impairment charge of INR 120 million which is shown under exceptional items.

4 The above is an extract of detailed format of unaudited financial results for the quarter and six months period ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com) and on Company's website (www.jubilantfoodworks.com).

5 During the period ended March 31, 2024, Jubilant Foodworks Netherlands B.V. (JFN), wholly owned subsidiary of the Company had acquired controlling stake in DP Eurasia NV. (DPEU) pursuant to which, the Group has accounted for its investment in DPEU in accordance with Ind AS 110 "Consolidated Financial Statements" w.e.f. February 1, 2024. Accordingly the consolidated unaudited financial results for the current periods are not comparable with that of previous periods.

For and on behalf of the Board of Directors of JUBILANT FOODWORKS LIMITED

Sd/- SHYAM S. BHARTIYA CHAIRMAN & DIRECTOR DIN No. 00010484

Place: Noida
Date: November 11, 2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त कृष्णा एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी विक्रम सिंह चौहान, निवास एन-6, द्वितीय तल, आदित्य कॉपरेटिव हब आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ने केस रजि. नं. 15080/16 एण्ड 16431/16 धारा 138 एनआई एक्ट, थाना केशवपुर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त विक्रम सिंह चौहान मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त विक्रम सिंह चौहान फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि केस रजि. नं. 15080/16 एण्ड 16431/16 धारा 138 एनआई एक्ट, थाना केशवपुर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त विक्रम सिंह चौहान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.01.2025 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार सुश्री दिव्या अरोड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम तल-04, उत्तर-पश्चिम, कोर्ट नं. 112, दि.पु./13960/उत्तर पश्चिम/2024 प्रथम तल, रौहिणी कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त हेमन्त कुमार वैद पुत्र रमेश कुमार निवासी 47-ए, पॉकेट-बी, बुधला एक्सप्रेसवे, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 ने Case Reg. No. 3943/2019, U/s 138 NI ACT, अन्तर्गत थाना विमारपुर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त हेमन्त कुमार वैद मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त हेमन्त कुमार वैद फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि Case Reg. No. 3943/2019, U/s 138 NI ACT, अन्तर्गत थाना विमारपुर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त हेमन्त कुमार वैद से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2024 को या इससे पहले हाजिर हों। आदेशानुसार, श्री दिव्या गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी-05, केंद्रीय जिला, कमरा नं. 02, विस्तार भवन, DP/14821/N/2024(Court Matter) तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त फरमान, पुत्र निजाम निवासी गरिया गार्डन इकबाल कॉलोनी शालीम गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2018 भा.द.सं. की धारा 392/411/34 के तहत, थाना नन्द नगरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त फरमान मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त फरमान फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2018 भा.द.सं. की धारा 392/411/34 के तहत, थाना नन्द नगरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त फरमान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 23.12.2024 को या उससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार सुश्री वीणाशी राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03, कमरा नं. 19, प्रथम तल दि.पु./14800/उत्तर पूर्व/2024 शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त दीपक, पुत्र: संजय, पता: ई-1/1, मदर डेयरी के पास, नंद नगरी, दिल्ली ने FIR No. 81/19, dated 02.03.2019, U/s 33 D.Ex. Act, पुलिस थाना नंद नगरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त दीपक मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त दीपक फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 81/19, dated 02.03.2019, U/s 33 D.Ex. Act, पुलिस थाना नंद नगरी, दिल्ली के अभियुक्त दीपक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.12.2024 या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार सुश्री वीणाशी राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03 शाहदरा कोर्ट, कमरा नंबर 19 DP/14867/NE/2024 कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त मुकेश पुत्र भीमक सिंह निवासी: मकान नं. 2319, गली नं. 62, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली, ने FIR No. 001023/2019, U/s 380/411/34 IPC, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मुकेश मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मुकेश फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 001023/2019, U/s 380/411/34 IPC, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, दिल्ली, के उक्त अभियुक्त मुकेश से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.12.2024 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार श्री चितनंदर सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-07, कमरा नं. 0-32, सौंदर जिला, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली